राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकारसंबंधी अपील वाद
संख्या–16 (लो0सू0अ0)/2022–23

मो॰ कलामुद्दीन, पिता–श्री मरहूम, मो॰–रमजान अली, ग्राम–चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, पंचायत–रूपवारा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर–843113

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
20.05.2022	मो॰ कलामुद्दीन, पिता–श्री मरहूम, मो॰–रमजान अली, ग्राम–चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, पंचायत–रूपवारा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर–843113 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–18.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–20.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं किया गया है। उक्त अपील आवेदन महामहिम राज्यपाल को संबोधित है। अपीलकर्त्ता मो॰ कलामुद्दीन ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को दिया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–23.04.2022 की प्रति भी संलग्न की है। विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माननीय मुख्यमंत्री लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में Designated नहीं है और न ही महामहिम राज्यपाल, बिहार उनके अपीलीय प्राधिकार के रूप में Designated है। अपीलार्थी ने गलत लोक सूचना पदाधिकारी एवं गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना आवेदन/अपील आवेदन समर्पित किया है। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। अतः प्राप्त अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 20/5/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकारसंबंधी अपील वाद संख्या–16 (लो0सू0अ0)/2022–23

मो॰ कलामुद्दीन, पिता–श्री मरहूम, मो॰–रमजान अली, ग्राम–चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, पंचायत–रूपवारा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर–843113

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
20.05.2022	मो॰ कलामुद्दीन, पिता–श्री मरहूम, मो॰–रमजान अली, ग्राम–चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, पंचायत–रूपवारा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर–843113 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–18.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–20.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं किया गया है। उक्त अपील आवेदन महामहिम राज्यपाल को संबोधित है। अपीलकर्त्ता मो॰ कलामुद्दीन ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को दिया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–23.04.2022 की प्रति भी संलग्न की है। विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत माननीय मुख्यमंत्री लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में Designated नहीं है और न ही महामहिम राज्यपाल, बिहार उनके अपीलीय प्राधिकार के रूप में Designated है। अपीलार्थी ने गलत लोक सूचना पदाधिकारी एवं गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना आवेदन/अपील आवेदन समर्पित किया है। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। अतः प्राप्त अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। (ह०) 20/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक–635/रा०स०(iii) दिनांक–23-05-2022

प्रतिलिपिः– मो॰ कलामुद्दीन, पिता–श्री मरहूम, मो॰–रमजान अली, ग्राम–चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, पंचायत–रूपवारा, थाना–करजा, जिला–मुजफ्फरपुर–843113 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 20/5/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

o/c